

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर


क्रमांक:रापक/एआरटी अधि.2021/सरोगेसी अधि.2021/2022/123

दिनांक:- 08/08/2022

आदेश

राज्य सरकार The Surrogacy (Regulation) Act 2021 की धारा 35 (2) तथा The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act 2021 की धारा 12 (3) के तहत राज्य में निम्नानुसार Appropriate Authority का गठन करती है :-

- | | |
|---|-----------|
| 1. संयुक्त/विशिष्ट/शासन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मिशन निदेशक एनएचएम | अध्यक्ष |
| 2. अति.निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान। | उपाध्यक्ष |
| 3. संयुक्त/उप शासन सचिव, विधायी प्रारूपण-2, विधि विभाग राजस्थान सरकार | सदस्य |
| 4. प्रतिनिधि महिला संगठन | सदस्य |
| 5. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर | सदस्य |



(डॉ. पृथ्वी)

शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
राजस्थान।

क्रमांक:रापक/एआरटी अधि.2021/सरोगेसी अधि.2021/2022/123

दिनांक:- 08/08/2022

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान।
2. निजी सचिव, सचिव, Department of Health Research, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नईदिल्ली।
3. संयुक्त सचिव, Department of Health Research स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नईदिल्ली।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
6. निजी सहायक मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
7. संयुक्त/उप शासन सचिव, (विधायी प्रारूपण -2) विधि विभाग, राजस्थान।
8. निजी सचिव, निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
9. निजी सहायक, अति. निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
10. प्रभारी सर्वर रूम, को वारंटे ईमेल हेतु।



(डॉ. पृथ्वी)

शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
राजस्थान।